

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 02.12.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 02.12.2023 को अभियुक्त पिन्टू यादव पुत्र सूबेदार यादव निवासी पेवठा थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ने मेरी पुत्री को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारापीटा तथा उसके साथ छेड़खानी किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 528/23 धारा 354(ख)/323/352 भादवि 3(2)VA SC ST ACT पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ द्वारा प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 09.02.2024 को उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पिन्टू यादव पुत्र सूबेदार यादव निवासी पेवठा थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को ग्राम भुजही बाजार से समय करीब 12.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 528/23 धारा 354(ख)323/352,34,504,506 भादवि, व 3(1) द, 3(1)ध 3(2)VA SC ST ACT व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज।

गिरफ्तार अभियुक्त– पिन्टू यादव पुत्र सूबेदार यादव निवासी पेवठा थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास– मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम– उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी, का0 विनोद चौधरी, का0 शुभम सिंह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 09.02.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 08.02.2024 को अभियुक्त आकाश पुत्र धर्मेन्द्र ग्राम जमीन करौदा थाना बरदह जनपद आजमगढ़, मेरी नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/24 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 09.02.2024 को उ0नि0 सौरभ कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश पुत्र धर्मेन्द्र ग्राम जमीन करौदा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को जिवली टावर से पीड़िता की बरामदगी करते हुए समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त– आकाश पुत्र धर्मेन्द्र ग्राम जमीन करौदा थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 46/24 धारा 363/366 थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास– मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम– उ0नि0 सौरभ कुमार त्रिपाठी, का0 पंकज यादव, म0आ0 मनीषा यादव थाना बरदह, आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

किशोरी से दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 06.02.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त अवधेश पुत्र प्रभु निवासी डोडोपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ वादिनी की पुत्री को फुसलाकर अगवा कर ले गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 60/24 धारा 363, 366 IPC बनाम अवधेश पुत्र प्रभु निवासी डोडोपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ पंजीकृत किया कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 09.02.2024 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अवधेश पुत्र प्रभु निवासी डोडोपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ को रानी की सराय बाई पास तिराहे से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 60/24 धारा 363/366/376 IPC व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त- अवधेश पुत्र प्रभु निवासी डोडोपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम- उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, का0 कमलेश कुमार, हो0गा0 महेन्द्र यादव थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

थाना कोतवाली

मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार घटना में प्रयुक्त 01 चाकू, 01 कैंची बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 08.02.2024 को वादी मुकदमा मो0 फैज पुत्र दरवेश अहमद निवासी आसिफगंज थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी ने शुभम निवासी ब्रम्हस्थान से एक पालतू कुत्ता खरीदा था जो किसी कारणवश मर गया। जिसकी सूचना देने वादी गया तो विपक्षी शुभम तथा पूरे परिवारवाले कहासुनी करते हुये धारदार हथियार से लहुलुहान कर दिये तथा वादी की गडी को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 81/24 धारा 307/427/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 09.02.2024 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. शिवम दूबे पुत्र जगदम्बा दूबे उम्र 21 वर्ष, 2. प्रिया दूबे पुत्री जगदम्बा दूबे उम्र 30 वर्ष समस्त निवासी आराजीबाग थाना कोतवाली आजमगढ़ को उनके घर आराजीबाग से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 01 कैंची व 01 चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

1. शिवम दूबे पुत्र जगदम्बा दूबे उम्र 21 वर्ष निवासी आराजीबाग थाना कोतवाली आजमगढ़।
2. प्रिया दूबे पुत्री जगदम्बा दूबे उम्र 30 वर्ष निवासी आराजीबाग थाना कोतवाली आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:- 01 कैंची व 01 चाकू।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 81/24 धारा 307/427/506 भादवि0 थाना कोतवाली आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, हे0कां0 महेन्द्र यादव, कां0 अखिलेश यादव, कां0 अनिरुद्ध धोबी, म0कां0 गरिमा सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना सरायमीर

चोरी करने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार; अवैध तमन्चा-कारतूस व चोरी के 2500/- रुपये बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 09.02.2024 को वादी मुकदमा राहुल जायसवाल पुत्र दिलीप कुमार जायसवाल निवासी ठठेरी बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि दिनांक 07.02.24 की रात्रि मे वादी की मिष्ठान भण्डार कस्बा सरायमीर से सुड्डू उर्फ शिव कुमार पुत्र स्व0 गोपाल सेठ सा0 शेरवा पुरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने काउण्टर को खोलकर 5000 रुपये चुरा लिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 50/24 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 09.02.2024 को व0उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिव कुमार सोनी उर्फ सुदू S/O स्व0 गोपाल सेठ मो0 शेरवा पुरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष को शेरवां नहर पुलिया से समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से चोरी के 2500/ रु0, 01 तमन्चा 315 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 00000000 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 61/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- शिव कुमार सोनी उर्फ सुड्डू पुत्र गोपाल सेठ सा0 शेरवा (पुरवा) थाना सरायमीर, आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:- 2500 रुपये (चोरी के), 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 550/03 धारा 394 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ
2. मु0अ0सं0 508/03 धारा 25 आयुध अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ
3. मु0अ0सं0 490/03 धारा 458 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ
4. मु0अ0सं0 310/07 धारा 379/411 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ
5. मु0अ0सं0 279/07 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ
6. मु0अ0सं0 144/07 धारा 110जी जा0फौ0 थाना सरायमीर आजमगढ
7. मु0अ0सं0 648/07 धारा गुण्डा एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ
8. मु0अ0सं0 752/09 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ
9. मु0अ0सं0 377/09 धारा 394/506 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ
10. मु0अ0सं0 628/09 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना खेतासराय जौनपुर
11. मु0अ0सं0 627/09 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना खेतासराय जौनपुर
12. मु0अ0सं0 577/2009 धारा 394/506 भादवि थाना खेतासराय जौनपुर
13. मु0अ0सं0 394/2009 धारा 394/506 भादवि थाना खेतासराय जौनपुर
14. मु0अ0सं0 819/2013 धारा 379 भादवि कोतवाली जनपद मऊ
15. मु0अ0सं0 310/07 धारा 379/411 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ
16. मु0अ0सं0 129/22 धारा 380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ
17. मु0अ0सं0 144/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ
18. मु0अ0सं0 114/20 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ
19. मु0अ0सं0 113/20 धारा 411/413 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ
20. मु0अ0सं0 59/20 धारा 442/363 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ
21. मु0अ0सं0 18/18 धारा 380/411/454 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ
22. मु0अ0सं0 65/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ
23. मु0अ0सं0 94/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ
24. मु0अ0सं0 60/24 धारा 380/411 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ
25. मु0अ0सं0 61/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ
26. HS 134 A थाना सरायमीर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा, का0 रजनीश पटेल, का0 आशु सिद्धकी थाना सरायमीर आजमगढ।

थाना जीयनपुर

शादी समारोह में जान से मारने की नियत से लूट करने वाला 15 हजार रुपये का इनामियां अभियुक्त अवैध तमन्चा कारतूस के साथ गिरफ्तार 1500/- रुपये बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 29.01.2024 को वादी मुकदमा सम्पूर्णानन्द द्विवेदी पुत्र श्यामनारायण द्विवेदी निवासी मुहल्ला जामेतुल वनात जियनपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि दिनांक 29-01-2024 को मेरी पुत्री की शादी कार्यक्रम के दौरान 1.प्रियांसु राय उर्फ चाहत पुत्र राजीव राय 2.प्रतीक राय पुत्र राजीव राय 3. राजीव राय पुत्र सतीस राय 4.प्रज्वल राय पुत्र राजीव राय समस्त निवासी जामेतुल वनात थाना जीयनपुर आजमगढ अपने हाथ में पिस्टल कट्टा व धारदार हथियार लेकर शादी पाँडाल में घुस आये और महिलाओ के साथ छेडखानी करने लगे मना करने पर जान से मारने के नियत से असलहे से फायरिंग करने लगे तथा महिलाओ के कान व गले के गहने छीन लिए तथा 02 लोगो ने गाडी का शीशे भी तोड दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 34/323/506/427/336/354/307/394 भादवि0 बनाम 1.प्रियांसु राय उर्फ चाहत पुत्र राजीव राय 2.प्रतीक राय पुत्र राजीव राय 3. राजीव राय पुत्र सतीस राय 4.प्रज्वल राय पुत्र राजीव राय 5. प्रतिभा राय पत्नी अज्ञात. समस्त निवासी जामेतुल वनात थाना जीयनपुर आजमगढ व कुछ अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 09-02-2024 को व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजीव राय पुत्र सतीश राय निवासी जामेतुल वनात थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को बेरमा पुलिसिया से समय करीब 14.10 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 1500 रूपया बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त- राजीव राय पुत्र सतीश राय निवासी जामेतुल बनात थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्षी

बरामदगी का विवरण:- 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 1500 रूपया

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 41/2024 धारा 34/323/506/427/336/354/307/394/411 भादवि व 3/25 A ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 431/2022 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 258/2017 धारा 323/354/506 भादवि व 3(1)(w)(i)/3(1)(घ)/3(1)(द)/3(2)(va) SC/ST ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह, का0 श्रेष्ठ यादव, का0 बिन्देश गौड़ थाना कोतवाली जीयनपुर आजमगढ़।